अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

मुकेश कुमार महतो
वा
यमुना केशरी एवं अन्य

आदेश पत्रक ता0– **23.12.2024** से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 38 / **2024–25**

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
23/12/2024	आवेदक– मुकेश कुमार महतो, पिता– पुनित लाल महतो, ग्राम– खखण्डा, पो0+थाना– चतरोचट्टी, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– तुस्को के खाता सं0– 22, प्लॉट सं0– 558, में खतियानी रैयत लालमन महतो के वंशज गणेश महतो, पिता मेघलाल महतो, ग्राम– तुस्को, पो+थाना– चतरोचट्टी, जिला– बोकारो से 12 डी0 जमीन खरीदगी की है। इस जमीन का रजिस्ट्री भी दिनांक– 13.04.2023 में हो गया है तथा वर्तमान में रसीद भी कट रहा है। (1) यमुना केशरी, पिता– झगरू साव, (2) जालेश्वर प्र0 केशरी, पिता– प्रयाग साव, (3) सुरेश साव, पिता– प्रयाग साव, (4) राजेश केसरी, पिता– प्रयाग साव, (5) प्रद्युम्न केसरी, पिता– कृष्णा केसरी सभी सा0 ग्राम+पो0+थाना– चतरोचट्टी, जिला– बोकारो द्वारा उक्त जमीन में अपनी दावेदारी पेश कर मालिकाना हक जता रहे है तथा उक्त जमीन पर मिट्टी कटवाकर का परिसीमन का काम भी कर दिया गया है तथा उनके द्वारा किए गए परिसीमन को हटा दिया गया है। अतः उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर हो रहे विवाद को निपटारा हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक– 03/01/2025 को रखें। 23/12/24 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1084 Notice 23/12/2024
03/01/2025	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में।	

मौजा तुरुको खाता सं० - 22 का खतियान, ऑफ लाईन लगान रसीद उपलब्ध कराया गया है। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत लालमन महतो के वंशज हैं। लालमन महतो के तीन पुत्र लेखी महतो (पत्नि - मो० बिसली), भुवनेश्वर महतो एवं रूपलाल महतो हैं। इनमें वर्तमान प्रथम पक्ष गोतिया के लोग आते हैं। खतियानी रैयत लालमन महतो श्री महेन्द्र महतो एवं राजू महतो के परदादा हैं।

द्वितीय पक्षकार यमुना देवी के द्वारा न्यायालय हजारीबाग के ~~आदेश~~ द्वारा T.S. No. 151 of 1962 में पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसमें खाता सं० - 22 प्लॉट सं० - 558 रकवा 2.18 ए० के बारे में उल्लेखित है। इसके साथ ही द्वितीय पक्षकार के द्वारा लगान रसीद (ऑफ लाईन) एवं पंजी II की सत्यापित प्रति साक्ष्य दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराई गयी है।

वाद की अगली सुनवाई दिनांक - 17/01/2025 को रखें।

(हस्ताक्षर) 3.1.25

अंचल अधिकारी

[illegible]ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
[illegible]/01/2025	आवेदक की ओर से हाजिरी दी गई है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पुनः द्वितीय पक्ष की ओर हाजिरी दी गई है। अं०नि०/कर्मचारी अमल बाली से जाँच हो। अभिलेख दिनांक - 31/01/2025 को रखें। (हस्ताक्षर) 17.1.25 अंचल अधि०	
31/01/2025	उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। दोनों पक्षों को सुना गया। अभिलेख दिनांक - 11/02/2025 को आदेश पर रखें। (हस्ताक्षर) 31.1.25 अंचल अधिकारी	
11/02/2025	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। आवेदक की ओर से श्री मुकेश कुमार महतो के द्वारा कहा गया कि मौजा तुम्बो खाता सं०-22, प्लॉट सं०-558 के खतियानी रैयत लालमन महतो वगै० के वंशज श्री गणेश महतो पिता मेघलाल महतो से 12 डी० भूमि का क्रय वर्ष 2023 में की गई। उक्त भूमि पर संरचना निर्माण करने पर द्वितीय पक्षकार श्री यमुना साव के वंशज के द्वारा दावा किया जाता है। प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत के वंशज महेश महतो एवं सानु महतो (लालमोहन महतो	

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	का परपोता) है, जो उक्त भूमि से संबंधित खतियान एवं लगान रसीद प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करते है कि लालधन महतो पिता गरीब महतो के तीन पुत्र लेखो महतो, भुनेश्वर महतो एवं रूपलाल महतो है। लेखो महतो के पत्नी का नाम मो० बिमली है। आवेदक की ओर से महेन्द्र महतो व रामू महतो के द्वारा बतलाया गया कि मौजा तुरको खाता-22 का ऑफ लाईन रसीद अंचल कार्यालय, गोमिया से ~~निर्गत~~ वर्ष 2013-14 तक लेखो महतो वगै० के नाम से निर्गत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि मौजा तुरको खाता-22, प्लॉट-558, रकबा-2.18ए० भूमि पर पूर्व से दखल-कब्जा है। प्रश्नगत भूमि न्यायालय हजारीबाग के T.S. No.-151 of 1962 लेखो महतो वगै० बनाम प्रेमला साव वगै० वाद में पारित आदेश के उपरान्त प्राप्त हुई है। तत् पश्चात हमलोगों के द्वारा अंचल कार्यालय से जमाबंदी कायम करते हुए ऑफलाईन लगान रसीद प्राप्त किया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि से संबंधित ऑन लाईन लगान रसीद हमलोगों के द्वारा अद्यतन कराया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	उभय पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराये गए सभी साक्ष्यों, सभी तथ्यों एवं दिए गए दलीलों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि मौजा तुम्बो के खाता सं०- 22, प्लॉट सं०- 558, रकबा- 2.18 ए० भूमि पर द्वितीय पक्षगण का दावा उचित प्रतीत होता है। द्वितीय पक्षगण को प्रश्नगत भूमि न्यायालय हजारीबाग के T.S. No- 151/1962 लेखो महतो वगै० बनाम प्रभात साव वगै० वाद में पारित आदेश के आलोक में प्राप्त हुई है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अंचल कार्यालय से लगान रसीद प्राप्त किया गया तथा पूर्व में कायम जमाबंदी एवं निर्गत लगान रसीद के आधार पर तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोमिया के द्वारा ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत किया गया। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि ऑन-लाईन लगान रसीद निर्गत करने के पूर्व तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा भूमि पर दखल-कब्जा, पूर्व में कायम जमाबंदी इत्यादि साक्ष्यों का अवलोकन किया गया होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष (खतियानी रैयत के वंशज) को न्यायालय हजारीबाग द्वारा T.S. No. 151/1962 में पारित आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपीलवाद दायर किया जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के दावा को वादी स्वीकार कर चुके थे। उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संधारित सभी राजस्व दस्तावेजों के आधार पर मौजा तुम्बो के खाता	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	सं०- 22, प्लॉट सं- 558, रकबा - 2.18 ए० भूमि पर दावा स्वीकार किया जाता है। प्रथम पक्षकार या खतियानी रैयत के वंशज उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। आदेश की प्रति संबंधित थाना प्रभारी, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को दें। लेखापित एवं संशोधित। 11.2.25 अंचल अधिकारी जोगिया। 11.2.25 अंचल अधिकारी जोगिया।

Issued C.C. Sl No. 40 dt. 15/02/25

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.05.10 15:39:41 +05:30
Location: 192.168.33.139